| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

# न्यायालय अनुमंडल दंडाधिकारी, छत्तरपुर (पलामू)।

P-22
10.4.18

## आदेश

## विविध वाद संख्या–167/2017

## धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता

**विजय कुमार मिश्र वगैरह ..... प्रथम पक्ष**

**बनाम्**

**हरिहरनाथ मिश्र वगैरह.....द्वितीय पक्ष**

**16.01.2018**

यह प्रक्रिया धारा 144 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत आवेदक 1. विजय कुमार मिश्र 2. बिनोद कुमार मिश्र 3. सुशिल कुमार मिश्र तीनो के पिता हरिहरनाथ मिश्र सभी ग्राम+पो0+थाना–पीपरा, जिला–पलामू ने 1. हरिहरनाथ मिश्र पिता–स्व0 नागेश्वर मिश्रा 2. कमल मिश्रा पिता–विष्णुदत मिश्रा सभी ग्राम+पो0+थाना–पीपरा, जिला–पलामू के विरूद्ध कार्रवाई हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया है। आवेदक के आवेदन पत्र के आलोक में विवादित भूमि पर धारा 144 दं0प्र0सं0 कि प्रक्रिया कायम कर उभय पक्षों को जाने से रोक लगाते हुए कारण पृच्छा की मांग की गयी। उभय पक्ष न्यायालय मे उपस्थित हुए एवं कारण पृच्छा दाखिल किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि प्रथम पक्ष के लोग शंतिप्रिय तथा कानून को मानने वाले न्यायप्रिय व्यक्ति हैं। द्वितीय पक्ष के लोगों से प्रथम पक्ष के जान माल का खतरा है विवदी भुमी खतियानी भूमि है जिसमें प्रथम पक्ष का अधिकार है तथा अपने खतियानी भूमि पर शांति पूर्वक दखल कब्जे हैं परंतु द्वितीय पक्ष के लो गांव के असमाजिक तत्ओं से मिलकर शांतिपूर्ण दखल कब्जे की भूमि को हड़पना चाहते हैं। प्रथम पक्ष का विवादी भूमि पर हक दावा का सम्पूर्ण अधिकार है। अतः निर्गत नियम प्रथम पक्ष के पक्ष में रिक्त तथा द्वितीय पक्ष के के पक्ष में निरपेक्ष करन कि कृपा की जाय।

द्वतीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने अपने लिखित कारण पृच्छा

| आदेश की कम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गइ कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

अनुरूप बहस करते हुए बताया कि यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है। प्रथम पक्ष के सदस्य द्वितीय पक्ष के कम सं0– 01 के पुत्र हैं तथा द्वितीय पक्ष के कम सं0–02 के भतिजे हैं। विवादी भूमि संयुक्त परिवार की संपति है जो अबतक बटवारा नाहीं हुआ है। अतः यह मुकदमा चलने योग्य नहीं है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता के बहस सुनने तथा उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा एवं संलग्न दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्तमान में उभय पक्ष वाद भूमि पर अपना अपना दखल–कब्जा का दावा कर रहे हैं। दखल– कब्जा को लेकर उभय पक्षों में तनाव की स्थिति बनी हुई है जिससे शांति भंग होने का खतरा विद्यमान है। जिसका निपटारा वास्तविक दखल– कब्जा की घोषणा कर शांति– व्यवस्था बनायी जा सकती है। शांति भंग होने का विवाद अचल संपति को लेकर है जिसका एक मात्र निदान धारा 145 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दोनो पक्षों से साक्ष्य लेकर किया जाना आवश्यक है। तदनुसार इस प्रकिया को दं0प्र0सं0 कि धारा 145 के अंतर्गत परिर्वतित की जाती है। पक्षकारों से उनके दावे का लिखित कथन एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 20.02.18 को रखें।

**लेखापित एवं संशोधित**

6/1/18

**अनुमंडल दंडाधिकारी,**
**छत्तरपुर (पलामू)।**

6/1/18

**अनुमंडल दंडाधिकारी,**
**छत्तरपुर (पलामू)।**

20.2.18 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 22-3-18 को रखें।

22.2.18 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। SDM
द्वितीय पक्ष की ओर से वकालतनामा फॉर्म दाखिल। अभिलेख दिनांक 10-4-18 को रखें।

SDM